पत्रांक- 3ए-1-मुक०-61/2019- **1537** /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-**28/02/2020**

विषय:- सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1370/2016 भगवान शरण एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-27/02/2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक-01/01/1996 से अचिकित्सा सहायक का वेतनमान ₹4500-7000/- स्वीकृत करने के संबंध में।

दिनांक-01/01/1996 के प्रभाव से केन्द्रीय प्रास्थिति के अनुरूप वेतनमानों की अनुशंसा हेतु गठित फिटमेंट कमिटि द्वारा मात्र इन्टरमीडिएट योग्यता एवं कुष्ठ उन्मूलन में प्रशिक्षण के आधार पर अचिकित्सा सहायक के लिए रु० 4000-6000/- से उच्चतर वेतनमान के दावे को अस्वीकृत करते हुए इनके लिए रु० 4000-6000/- वेतनमान की अनुशंसा की गई जिसे संकल्प संख्या-660, दिनांक-08/02/1999 के द्वारा स्वीकृत किया गया।

2. फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा की त्रुटियों पर विचारण हेतु गठित फिटमेंट अपीलेट कमिटि द्वारा मैट्रिक कर्मियों के लिए रु० 4000-6000/- तथा स्नातक कर्मियों के लिए रु० 5000-8000/- की स्वीकृति को दृष्टिपथ में रखते हुये इस संवर्ग की शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट के आधार पर रु० 4500-7000/- के वेतनमान की अनुशंसा की गयी।

3. CWJC No. 1370/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश एवं फिटमेंट अपीलेट कमिटि की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-01/01/1996 से अचिकित्सा सहायक का वेतनमान रु० 4500-7000/- किये जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक-01/01/1996 से अचिकित्सा सहायक का वेतनमान 4500-7000/- स्वीकृत किया जाता है। इस स्वीकृत वेतनमान का वेतन निर्धारण संकल्प संख्या-660, दिनांक-08/02/1999 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। इस स्वीकृति के फलस्वरूप अन्तर राशि भुगतेय होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-61/2019-**1537/वि०** पटना, दिनांक-**28/02/2020**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-61/2019-**1537/वि०** पटना, दिनांक-**28/02/2020**

प्रतिलिपि- **महानिबंधक**, उच्च न्यायालय, पटना / **सचिव**, बिहार विधान सभा / **सचिव**, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-61/2019-**1537/वि०** पटना, दिनांक-**28/02/2020**

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।